न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झनुं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
72/2019	धारा 91 एल.आर.एक्ट	27.09.19	26.11.2019

उनवान सरकार बनाम अशोक कुमार पुत्र राजुराम जाति माली निवासी बाग की ढाणी हाल निवासी सिंघाना जिला झुन्झुनूं(राज0)

–: निर्णय :–

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि सहायक अभियन्ता सा0नि0वि0 बुहाना की ओर से तहसीलदार बुहाना को एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि स्टेट हाइवे 13 स्थान सिंघाना में स्टेट हाइवे 13 व एन0एच 11 मार्ग पर सा0नि0वि0 की सीमा मे अतिक्रमण अशोक कुमार पुत्र राजुराम जाति माली निवासी बाग की ढाणी हाल निवासी सिंघाना ने 5–10 मी0 की दूरी पर ठेले लगाकर (स्थाई रूप से) अतिक्रमण कर रखा है सहायक अभियन्ता ने भी यह अभिकथन किया है कि इन सभी ठैलों वालों को मौखिक रूप से अतिक्रमण हटाने को कहने के बाद भी आज दिनांक तक अतिक्रमण नही हटाया गया है। अतः अतिक्रमी के विरूद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 की कार्यवाही अमल में लाई जावे।

तहसीलदार बुहाना द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/1272 दिनांक 20.08.2019 को मूल प्रकरण नायब तहसीलदार सिंघाना को अतिक्रमीके विरूद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने हेतु भिजवाया गया।

प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अतिक्रमी अशोक कुमार पुत्र राजुराम जाति माली निवासी बाग की ढाणी हाल निवासी सिंघाना को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी अनुपस्थित रहा।

पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट सहायक अभियन्ता सा0नि0 वि0 बुहाना तथा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत विवादित अतिक्रमण की भूमि पर प्रभावहीन व सारहीन साबित होते है। अतः यह न्यायालय अतिक्रमी अशोक कुमार पुत्र राजुराम जाति माली निवासी बाग की ढाणी हाल निवासी सिंघाना ने एन. एच. 11 एवं सिंघाना सर्किल पर 5–10 मी0 की दूरी पर (स्थाई रूप से) ठेले का अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली के आदेश दिए जाते है।

सहायक अभियन्ता सा0नि.वि0 बुहाना को आदेशित किया जाता है कि उक्त अतिक्रमण को भौतिक रूप से बेदखल की कार्यवाही करे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप तहसीलदार सिंघाना।

Scanned with CamScanner